Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **बूंदी में आबकारी निरीक्षक 6 हजार रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *18 जुलाई, मंगलवार*। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बूंदी इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक वृत–बूंदी, जिला बूंदी को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की बूंदी इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी देशी कम्पोजिट शराब की दुकान के निर्बाध संचालन की एवज में सुनील कुमार गर्ग आबकारी निरीक्षक वृत–बूंदी, जिला बूंदी द्वारा मासिक बन्धी के रूप में प्रतिमाह **6 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी बूंदी इकाई के **उप अधीक्षक पुलिस श्री ज्ञानचंद** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनके द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये सुनील कुमार गर्ग पुत्र श्री सत्यनारायण गर्ग निवासी खण्डार, जिला सवाईमाधोपुर हाल निवासी फ्लैट नं0 309, पार्श्वनाथ अपार्टमेन्ट, कुन्हाड़ी, कोटा शहर हाल आबकारी निरीक्षक वृत–बूंदी, जिला बूंदी को परिवादी से **6 हजार रूपये** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।